GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS WELFARE

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.451
TO BE ANSWERED ON THE 26TH APRIL, 2016

NATIONAL OILSEEDS AND OIL PALM MISSION

451. SHRI PRATAPRAO JADHAV:
SHRI CHANDRAKANT KHAIRE:

Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री be pleased to state:

(a) whether the National Mission on Oilseeds and Oil Palm is under implementation in a number of States;

(b) if so, the details thereof along with the amount of funds allocated and utilized for this mission during the last three years, State-wise;

(c) whether any review has been made regarding the proper implementation of this Mission;

(d) if so, the details and the outcome thereof; and

(e) if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (SHRI MOHANBHAI KUNDARIYA)

(a) & (b): The National Mission on Oilseeds and Oil Palm (NMOOP) is being implemented in the country since 2014-15 in 27 States. The State-wise and year-wise funds allocated (central share) and released under NMOOP during 2014-15 and 2015-16 is annexed.

(c) to (e): At National level, Executive Committee (EC) headed by Minister of Agriculture, Standing Committee (SC) headed by Secretary (AC&FW) and Mission Monitoring Committee (MMC) under the Chairmanship of the Joint Secretary (oilseeds) review and monitor Implementation of the Mission. Representatives of States/Agencies are invited to the meetings of these committees to discuss various issues relating to implementation of NMOOP. State Level Standing Committee headed by Agriculture Production Commissioner/Principal Secretary of the State reviews the progress of implementation in the States.

Further, National Level Monitoring Teams have been constituted for monitoring of the Mission activities at field level and providing necessary feedback for effective implementation and improvement. Several meetings/workshop/video conference/seminars/melas are also organized to create mass awareness and obtaining feedback. Based on discussions and deliberations held with various stakeholders in committee meetings and at other fora, several revision/modifications have been made in the operational guidelines of NMOOP for its smooth and effective implementation.

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 451

26 अप्रैल, 2016 को उत्तरार्थ

विषय : राष्ट्रीय तिलहन और पाम तेल मिशन

451. श्री प्रतापराव जाधवः

श्री चन्द्रकांत खैरेः

क्या कृषि और कृषक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अनेक राज्यों में राष्ट्रीय तिलहन और पाम तेल मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान इस मिशन हेतु आबंटित निधि की राशि और उपयोग का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मिशन के उपयुक्त कार्यान्वयन के संबंध में कोई समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहनभाई कुंडारीया)

(क) और (ख) 27 राज्यों में 2014-15 से देश में राष्ट्रीय तिलहन और आयलपॉम मिशन (एनएमओओपी) कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान एनएमओओपी के दौरान आवंटित (केन्द्रीय शेयर) और निर्मुक्त निधियों का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा अनुबंध पर है।

(ग), (घ) और (ङ,) मिशन के कार्यान्यवन की समीक्षा और निगरानी राष्ट्रीय स्तर पर कृषि मंत्री की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति (ईसी), सचिव (एसीएंडएफडब्ल्यू) की अध्यक्षता में स्थायी समिति (एससी) और संयुक्त सचिव (तिलहन) की अध्यक्षता के तहत मिशन निगरानी समिति (एमएमसी) करती है। राज्यों/एजन्सियों के प्रतिनिधियों को एनएमओओपी के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करने हेतु इन समितियों की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। राज्य के कृषि उत्पादन आयुक्त/मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्थायी समिति राज्यों में कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करती है।

इसके अतिरिक्त फील्ड स्तर पर मिशन कार्याकलापों के निगरानी और प्रभावी कार्यान्वयन और सुधार हेतु आवश्यक फीडबैक प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर निगरानी दलों का गठन किया गया है। जन-जागरूकता लाने और फीडबैक प्राप्ति हेतु विभिन्न बैठकों/कार्यशालाओं/वीडियो कान्फ्रेन्स/संगोष्ठियों/मेलों का भी आयोजन किया जाता है। समिति की बैठकों और अन्य मंचों पर विभिन्न पणधारियों के साथ आयोजित विचार विमर्श और विवेचना के आधार पर एनएमओओपी के बेहतर और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उसके प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों में विभिन्न सुधार/परिवर्तन किया गया है।

Annexure

INFORMATION IN RESPECT OF LOK SABHA USQ No. 451 for 26.4.2016

STATE-WISE ALLOCATION AND RELEASED OF FUNDS (CENTRAL SHARE) UNDER NATIONAL MISSION ON OILSEEDS AND OIL PALM (NMOOP) DURING 2014-15 & 2015-16

(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Name of the States	2014-15		2015-16	
		Allocation	Release	Allocation	Release
1	Andhra Pradesh	5136.00	1798.00	5262.92	3957.00
2	Bihar	231.00	154.29	239.50	169.75
3	Chhattisgarh	534.16	319.50	768.71	318.86
4	Gujarat	3665.00	1401.14	1648.26	646.94
5	Haryana	692.00	242.00	1023.66	831.47
6	Jammu & Kashmir	134.96	101.22	158.01	0.00
7	Jharkhand	238.00	118.77	438.81	0.00
8	Karnataka	2245.00	2021.85	2156.85	1335.81
9	Kerala	69.00	41.41	21.13	2.00
10	Madhya Pradesh	7507.00	4505.78	4339.43	2614.64
11	Maharashtra	4544.00	3408.10	1999.19	1982.86
12	Orissa	1581.53	925.61	785.28	557.64
13	Punjab	115.00	40.00	49.90	0.00
14	Rajasthan	5085.00	4784.86	4912.19	3491.10
15	Tamil Nadu	1059.00	842.58	888.11	806.06
16	Telangana	1091.00	619.07	981.31	967.65
17	Uttar Pradesh	1400.00	1172.85	1888.29	1319.20
18	Uttarakhand	0.00	0.00	89.89	70.18
19	West Bengal	958.12	602.97	1300.00	984.85
20	Arunachal Pradesh	408.01	204.01	361.07	218.09
21	Assam	1771.92	885.95	1624.10	886.53
22	Manipur	264.64	198.48	133.20	66.60
23	Meghalaya	125.86	62.93	0.00	0.00
24	Mizoram	891.14	668.36	1270.08	507.33
25	Nagaland	454.63	454.64	250.16	120.36
26	Sikkim	69.02	69.02	52.16	30.12
27	Tripura	512.44	512.44	404.16	261.98
	TOTAL	40783.43	26155.83	33046.34	22146.99

* * * *

अनुबंध

अतारा.451

वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान राष्ट्रीय तिलहन और आयलपाम मिशन (एनएमओओवी) के तहत निधियों (केन्द्रीय अंश) का राज्यवार आवंटन और निर्मुक्ति।

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	राज्यों के नाम	2014-15		2015-16	
		आवंटन	निर्मुक्ति	आवंटन	निर्मुक्ति
1	आंध्र प्रदेश	5136.00	1798.00	5262.92	3957.00
2	बिहार	231.00	154.29	239.50	169.75
3	छत्तीसगढ़	534.16	319.50	768.71	318.86
4	गुजरात	3665.00	1401.14	1648.26	646.94
5	हरियाणा	692.00	242.00	1023.66	831.47
6	जम्मू-कश्मीर	134.96	101.22	158.01	0.00
7	झारखंड	238.00	118.77	438.81	0.00
8	कर्नाटक	2245.00	2021.85	2156.85	1335.81
9	केरल	69.00	41.41	21.13	2.00
10	मध्य प्रदेश	7507.00	4505.78	4339.43	2614.64
11	महाराष्ट्र	4544.00	3408.10	1999.19	1982.86
12	ओडिशा	1581.53	925.61	785.28	557.64
13	पंजाब	115.00	40.00	49.90	0.00
14	राजस्थान	5085.00	4784.86	4912.19	3491.10
15	तमिलनाडु	1059.00	842.58	888.11	806.06
16	तेलंगाना	1091.00	619.07	981.31	967.65
17	उत्तर प्रदेश	1400.00	1172.85	1888.29	1319.20
18	उत्तराखंड	0.00	0.00	89.89	70.18
19	पश्चिम बंगाल	958.12	602.97	1300.00	984.85
20	अरुणाचल प्रदेश	408.01	204.01	361.07	218.09
21	असम	1771.92	885.95	1624.10	886.53
22	मणिपुर	264.64	198.48	133.20	66.60
23	मेघालय	125.86	62.93	0.00	0.00
24	मिजोरम	891.14	668.36	1270.08	507.33
25	नागालैंड	454.63	454.64	250.16	120.36
26	सिक्किम	69.02	69.02	52.16	30.12
27	त्रिपुरा	512.44	512.44	404.16	261.98
	कुल	**40783.43**	**26155.83**	**33046.34**	**22146.99**

******